कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1582/11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 05, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषयः– जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1 किमी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/72, दिनांक–11.08.2017 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या–447/11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, दिनाँक–16.08.2017, इस कार्यालय का पत्रांक–2145/11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, दिनाँक–16.05.2019 तथा आपका पत्रांक–2770/2–6, दिनांक–22.01.2020

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनाँक–22.01.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–2 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन भाग–1 के क्रमांक A-1(ix) में प्रकरण में प्रभावित गैर वनभूमि 0.1225 हे0 फीड नहीं किया गया है। अतः एन0आई0सी0, नई दिल्ली से फीड कराकर संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 संलग्न करे।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–3 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन भाग–1 के क्रमांक B-2 में प्रभावित गैर वनभूमि 0.1225 हे0 फीड नहीं किया गया है। अतः एन0आई0सी0, नई दिल्ली से फीड कराकर संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 संलग्न करे।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0–4 के निराकरण के क्रम में स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के स्थल की सत्यापित खतौनी संलग्न करें।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं0–9 का निराकरण स्पष्ट नहीं है। अतः भारत सरकार की आपत्ति सं0–9 का स्पष्ट निराकरण करते हुये इससे सम्बन्धित संलग्नक–1/2/4 टंकित कराकर मूल में संलग्न किया जाये।
5. भारत सरकार की आपत्ति सं0–11 के निराकरण के क्रम में प्रस्ताव में संलग्न उपयुक्तता प्रमाण पत्र से भिन्न उपयुक्ता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड़ किया गया है। अतः सही उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड़ करे।

प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.08.2017 का निराकरण आपके द्वारा लगभग 2 वर्ष 6 माह के पश्चात आधा–अधूरा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। **अतः प्रकरण में विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुये उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण के पश्चात संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में इस कार्यालय को 15 दिवस** के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करे। प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा इस कार्यालय से प्राप्त करें।

निहित
अ0का0अ0करें।
उ0व0स0
05/02

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

5571
2-6
05-2-2020

पत्रांकः– 1582/11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
2. डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ई-मेल

पत्रांक 2969/2-6 दिनांक गोरखपुर फरवरी 05/2020

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में तत्काल प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

Acy-2181

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।